संख्या-105/2016/737/22-2-2016-17(162)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2016***

विषय:- जिला कारागार, झॉसी में निरूद्व बन्दी रामादीन पुत्र श्री कलूटे, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामादीन पुत्र श्री कलूटे, ग्राम-खरवॉच, थाना-ककरबई, जनपद-झॉसी का निवासी है। कई वर्ष पूर्व में बन्दी के सहअभियुक्त राम सनेही के पिता की हत्या के केस में नामजद बहादुर के दोषमुक्त हो जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-11-1988 को लगभग 04-30 बजे भाला एवं बंदूक से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/89 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,302,148,149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, झॉसी द्वारा दिनांक 07-08-1992 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22-03-2004 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08-07-2010 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आाता है, बल्कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्व रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि कई वर्ष पूर्व में बन्दी के सहअभियुक्त राम सनेही के पिता की हत्या के केस में नामजद बहादुर के दोषमुक्त हो जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-11-1988 को लगभग 04-30 बजे भाला एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बंदूक से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रामादीन पुत्र श्री कलूटे, निवासी जनपद-झॉसी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी **रामादीन (बन्दी संख्या-623/15) पुत्र पुत्र श्री कलूटे, निवासी जनपद-झॉसी** के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-105/2016/737(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झॉसी ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झॉसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-105/2016/737/22-2-2016-17(162)/2016
दिनांक 04 अगस्त, 2016 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध **रामादीन** (बन्दी संख्या-**623/15**) पुत्र **श्री कलूटे, ग्राम-खरवॉच, थाना-ककरबई, जनपद-झॉसी** का निवासी है। कई वर्ष पूर्व में बन्दी के सहअभियुक्त राम सनेही के पिता की हत्या के केस में नामजद बहादुर के दोषमुक्त हो जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-11-1988 को लगभग 04-30 बजे भाला एवं बंदूक से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/89 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,302,148,149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, झॉसी द्वारा दिनांक 07-08-1992 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22-03-2004 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08-07-2010 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2016 तक 15 वर्ष 01 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 11 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आाता है, बल्कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्व रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि कई वर्ष पूर्व में बन्दी के सहअभियुक्त राम सनेही के पिता की हत्या के केस में नामजद बहादुर के दोषमुक्त हो जाने पर बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-11-1988 को लगभग 04-30 बजे भाला एवं बंदूक से हमला कर 02 व्यक्तियों की हत्या की। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष **रामादीन** पुत्र **श्री कलूटे, निवासी जनपद-झॉसी** को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in